अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, जिला न्यायालय अंबिकापुर, छ0ग0

// सूचना //

सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में आयोजित की जावेगी ।

सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में आयोजित होने वाले लिखित परीक्षा के लिये पात्र पाये गये समस्त अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र कार्यालय के बेवसाइट पर अपलोड किया जावेगा ।

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर की स्थापना के सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जावेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालकर लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये उस पर अपना फोटो चस्पा कर उस पर अपना हस्ताक्षर सहित लेकर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे । किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु कोई सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से प्रेषित नहीं किया जावेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा तिथि दिनांक 14.11.2026 को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जावेंगे । लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा ।

सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पद हेतु दिनांक 01.11.2026 को आयोजित होने वाले लिखित परीक्षा के लिये पूर्व में पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक–25 पर अंकित अभ्यर्थी भूमिका दुग्गा पिता अनुप कुमार दुग्गा को वर्तमान में पात्र नहीं पाया गया है। यदि वह उक्त संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहती है, तो वह दिनांक 05.11.2026 के शाम 4.00 बजे या उसके पूर्व तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती है ।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के स्थापना में भृत्य के रिक्त पद हेतु आयोजित होने वाले लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा पृथक से कार्यालय के बेवसाइट के माध्यम से किया जावेगा ।

विज्ञापन एवं पूर्व में जारी किए गए निर्देश के अनुसार कोई भी आपत्ति ईमेल अथवा डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है तथा जिस बिन्दू पर आवेदक अमन पटवा एवं मुक्तेश ताम्रकार ने ईमेल एवं डाक के माध्यम से आपत्ति प्रेषित किया है, उक्त विषय को माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के द्वारा रीट याचिका डब्लू.पी.एस 7304/2026 सुधीर टोप्पो विरूद्ध छ. ग. राज्य व अन्य के प्रकरण में दिनांक 12.10.2026 को निराकृत कर दिया गया है । अतः अभ्यर्थी अमन पटवा के द्वारा प्रस्तुत ईमेल एवं अभ्यर्थी मुक्तेश ताम्रकार के द्वारा डाक के माध्यम से की गयी शिकायत नस्तीबद्ध किया गया है।

08.11.2026

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, अंबिकापुर,
सरगुजा (छ0ग0)